

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ.1(122) परि/स्था/14/45532

जयपुर, दिनांक:- 27/3/14

कार्यालय आदेश

परिवहन विभाग (मुख्यालय), अधीनस्थ प्रादेशिक एवं जिला परिवहन कार्यालयों को प्रवर्तन एवं सामान्य कार्यों के संचालन हेतु कॉलम संख्या 8 में वर्णित संख्या तक सुरक्षा गार्ड राजस्थान एक्स सर्विसमैन कम्पनी (RExCo) के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए दिनांक 01.03.2014 से 28.02.2015 तक संविदा पर लेने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र सं.	कार्यालय का नाम	उड़नदस्तों की संख्या	उड़नदस्तों हेतु सुरक्षा गार्ड	कार्यालय हेतु सुरक्षा गार्ड	कुल सुरक्षा गार्डों की संख्या	पहले से स्वीकृत पद	संविदा पर अनुमत सुरक्षा गार्डों की संख्या (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	प्रा.प.का. जयपुर (दक्षिण) / अति. प्रा.प. का. जयपुर	32	64	35	99	02	97
2.	जि.प.का. दुदू (जयपुर)	03	06	06	12	—	12
3.	जि.प.का. कोटपूतली (जयपुर)	03	06	04	10	—	10
4.	जि.प.का. शाहपुरा (जयपुर)	03	06	06	12	—	12
5.	जि.प.का. चौमू	03	06	06	12	—	12
6.	प्रा.प.का. दौसा	05	10	10	20	—	20
7.	जि.प.का. सवाई माधोपुर	02	04	06	10	—	10
8.	उ.प.का. गंगापुर सिटी (सवाईमाधोपुर)	—	—	04	04	—	04
9.	जि.प.का. करौली	03	06	06	12	—	12
10.	उ.प.का. हिण्डोन सिटी (करौली)	—	—	04	04	—	04

27

11.	प्रा.प.का. सीकर	06	12	10	22	—	22
12.	उ.प.का. रीगंस (सीकर)	—	—	04	04	—	04
13.	उ.प.का. नीम का थाना (सीकर)	—	—	04	04	—	04
14.	जि.प.का. झुझुनु	05	10	06	16	—	16
15.	उ.प.का. खेतडी (झुझुनु)	—	—	04	04	—	04
16.	जि.प.का. चूरु	03	06	06	12	—	12
17.	जि.प.का. सुजानगढ़	03	06	06	12	—	12
18.	उ.प.का. राजगढ़ (चूरु)	—	—	04	04	—	04
19.	प्रा.प.का. अलवर	06	12	10	22	03	19
20.	उ.प.का. बहरोड़ (अलवर)	—	—	04	04	—	04
21.	जि.प.का. शाहजहांपुर (25 सुरक्षा गार्ड एवं 1 गनमैन गार्ड)	03	06	19 + 1 (गनमैन)	26	07	18+1 (गनमैन)
22.	जि.प.का. मिवाडी	03	06	06	12	—	12
23.	प्रा.प.का. भरतपुर	06	12	12	24	01	23
24.	उ.प.का. डीग (भरतपुर)	—	—	04	04	—	04
25.	जि.प.का. धौलपुर	05	10	06	16	—	16
26.	प्रा.प.का. अजमेर	06	12	12	24	—	24
27.	जि.प.का. केकड़ी (अजमेर)	03	06	06	12	—	12
28.	जि.प.का. ब्यावर	02	04	06	10	—	10
29.	जि.प.का. किशनगढ़	03	06	06	12	—	12
30.	जि.प.का. नागौर	02	04	06	10	—	10
31.	उ.प.का. नावां (नागौर)	—	—	04	04	—	04
32.	उ.प.का. मकराना (नागौर)	—	—	04	04	—	04

33.	उ.प.का., मेड़ता (नागौर)	-	-	04	04	-	04
34.	जि.प.का., डीडवाना	03	06	06	12	-	12
35.	जि.प.का., टोंक	02	04	06	10	-	10
36.	उ.प.का., देवली	-	-	04	04	-	04
37.	प्रा.प.का., जोधपुर	08	16	20	36	-	36
38.	उ.प.का., पिपाड़ सिटी (जोधपुर)	-	-	04	04	-	04
39.	जि.प.का., फलौदी	03	06	06	12	-	12
40.	जि.प.का., बाडमेर	02	04	06	10	-	10
41.	जि.प.का., बालोतरा	03	06	06	12	-	12
42.	जि.प.का., जैसलमेर	01	02	06	08	-	08
43.	उ.प.का., पोकरण (जैसलमेर)	-	-	04	04	-	04
44.	प्रा.प.का., पाली	05	10	10	20	-	20
45.	उ.प.का., सुमेरपुर (पाली)	-	-	04	04	-	04
46.	उ.प.का., सोजत (पाली)	-	-	04	04	-	04
47.	जि.प.का., सिरोही	05	10	06	16	-	16
48.	जि.प.का., आबूरोड	03	06	06	12	-	12
49.	जि.प.का., जालौर	02	04	06	10	-	10
50.	उ.प.का., भीनमाल (जालौर)	03	06	06	12	-	12
51.	उ.प.का., सांचौर (जालौर)	-	-	04	04	-	04
52.	प्रा.प.का., उदयपुर	07	14	12	26	-	26
53.	उ.प.का., सलूम्बर (उदयपुर)	-	-	04	04	-	04
54.	जि.प.का., राजसमंद	03	06	06	12	-	12
55.	उ.प.का., रेलमगरा	-	-	04	04	-	04

56.	उ.प.का., भीम (राजसमंद)	—	—	04	04	—	04
57.	जि.प.का., डूंगरपुर	02	04	06	10	—	10
58.	जि.प.का., रतनपुर (वर संग्रह केंद्र)	03	06	06	12	03	09
59.	जि.प.का., बांसवाडा	02	04	06	10	01	09
60.	प्रा.प.का., चित्तौडगढ	06	12	10	22	01	21
61.	जि.प.का., भीलवाडा	04	08	06	14	—	14
62.	उ.प.का., शाहपुरा (भीलवाडा)	03	06	06	12	—	12
63.	जि.प.का., प्रतापगढ	01	02	06	08	—	08
64.	प्रा.प.का., कोटा	05	10	12	22	01	21
65.	जि.प.का., रामगजमण्डी	01	02	06	08	—	08
66.	जि.प.का., बून्दी	02	04	06	10	—	10
67.	जि.प.का., बारा	02	04	06	10	—	10
68.	जि.प.का., झालावाड	03	06	06	12	—	12
69.	उ.प.का., भवानीमण्डी	—	—	04	04	—	04
70.	प्रा.प.का., बीकानेर	04	08	12	20	01	19
71.	उ.प.का., लूणकरणसर (बीकानेर)	—	—	04	04	—	04
72.	जि.प.का., नौखा (बीकानेर)	03	06	06	12	—	12
73.	जि.प.का., श्रीगंगानगर	05	10	06	16	01	15
74.	उ.प.का., सुरतगढ (श्रीगंगानगर)	—	—	04	04	—	04
75.	जि.प.का., हनुमानगढ	04	08	06	14	—	14
76.	जि.प.का., नोहर (हनुमानगढ)	03	06	06	12	—	12
77.	प्रवर्तन विंग (उडनदस्ते) जयपुर(दक्षिण)	06	12	—	12	—	12

20/7

78.	प्रवर्तन विंग (उड़नदस्ते) जयपुर(उत्तर)	06	12	-	12	-	12
79.	प्रवर्तन विंग (उड़नदस्ते) भरतपुर	06	12	-	12	-	12
80.	प्रवर्तन विंग (उड़नदस्ते) अजमेर	06	12	-	12	-	12
81.	प्रवर्तन विंग (उड़नदस्ते) जोधपुर	06	12	-	12	-	12
82.	प्रवर्तन विंग (उड़नदस्ते) कोटा	06	12	-	12	-	12
83.	प्रवर्तन विंग (उड़नदस्ते) बीकानेर	06	12	-	12	-	12
84.	प्रवर्तन विंग (उड़नदस्ते) उदयपुर	06	12	-	12	-	12
85.	मुख्यालय	05 (केन्द्रीय उड़नदस्ते)	10	09+1 (1 सहायक सुरक्षा अधिकारी, 9 सुरक्षा गार्ड)	19+1 (सहायक सुरक्षा अधिकारी)	-	19+1 (सहायक सुरक्षा अधिकारी)
योग		266	532	525	1057	21	1036

उपरोक्तानुसार सुरक्षा गार्ड रखे जाने के लिए निम्नांकित निर्देश भी दिये जाते है:-

1. उपर्युक्त सुरक्षा गार्ड्स सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार में नवगठित राजकीय कम्पनी RExCo के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को ही संविदा पर सुरक्षा गार्ड के रूप में लगाया जावे एवं उनका सेवा क्रमांक गार (Army Service No., Airforce Service No., Navy Service No.) सेवा रिकॉर्ड, परिचय पत्र समुचित रिकार्ड रखा जाये।
2. उक्तानुसार रखे गये सुरक्षा गार्डों को छः माह की अवधि से ज्यादा नहीं रखा जावे एवं हर 6 माह में इनको बदला जावे।
3. कार्यालयों हेतु सुरक्षा गार्ड को व्यवस्था उपरोक्त तालिका अनुसार की जावे। प्रत्येक उड़नदस्ते के लिए 2 गार्ड होंगे। यदि कहीं उड़नदस्ता किसी कारणवश नहीं है तो वहां के लिए आवंटन तदनुसार कम माना जावेगा। कार्यालय में पदस्थापित गार्ड, गनमैन एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भी कर संग्रह केन्द्रों एवं परिवहन निरीक्षक मुख्यालयों पर कार्य लिया जायेगा।
4. सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों/उपायुक्त(प्रवर्तन) का होगा तथा वे समय समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
5. पारिश्रमिक का भुगतान राज्य सरकार द्वारा नियत दरों पर किया जाना सुनिश्चित करें तथा इन शर्तों की पालना करते समय यह सुनिश्चित करें कि विभाग पर किसी प्रकार का स्थायी दायित्व नहीं बने तथा राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनिमय तथा स्टाफ का सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं हों।
6. मुख्यालय पर कार्यालय सुरक्षा एवं केन्द्रीय उड़नदस्ते हेतु आवंटित गार्ड की संविदा सेवाओं पर व्यय आयोजना भिन्न मद के लेखाशेष 2041-00-001- (01)- [00]-41 में उपलब्ध प्रावधान से भारित होगा।

7. प्रादेशिक/जिला/उप जिला परिवहन कार्यालय की सुरक्षा हेतु आवंटित गार्ड की संविदा सेवाओं पर व्यय आयोजना भिन्न मद के लेखाशीर्ष 2041-00-101- (01)- [00]-41 में उपलब्ध प्रावधान से भारित होगा।
8. प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय/प्रवर्तन शाखा को उद्भूत हेतु आवंटित गार्ड की संविदा सेवाओं पर व्यय आयोजना भिन्न मद के लेखाशीर्ष 2041-00-102- (02)- [00]-41 में उपलब्ध प्रावधान से भारित होगा।

उक्त आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. क्रमांक 101401200 दिनांक 20.03.2014 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

Sd

(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा0)

क्रमांक : एफ.1(122) परि/स्था/14/45533-539 जयपुर, दिनांक:- 27/3/14

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार को बजट आवंटन हेतु।
3. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय, जयपुर। A.C.P
4. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी स्वीकृत संख्या तक आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड RExCo के माध्यम से लें।
5. लेखा एवं भुगतान/प्रवर्तन/स्थापना शाखा, मुख्यालय जयपुर।
6. प्रबन्धक निदेशक राजस्थान एक्स सर्विसमें कारपोरेशन लिमिटेड, रुम न. 7222, फूड बिल्डींग, द्वितीय तल, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार मुख्यालय एवं सम्बन्धित कार्यालयों को सांवेदा आधार पर सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाने का श्रम करें।
7. रक्षित पत्रावली।

20

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा0)